

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एम-301/18/ दिनांक:-


आदेश

श्री मुकेश कुमार शर्मा, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर का निम्न प्रकार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 27.02.16 से दिनांक 04.04.16:- 38 दिवस
 2. दिनांक 14.04.16 से दिनांक 15.07.16:- 93 दिवस
 3. दिनांक 28.01.17 से दिनांक 08.03.17:- 40 दिवस
- कुल :- 171 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (141 दिवस) की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी.संख्या 2065 दिनांक 12.12.17 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एम-301/18/50

दिनांक:- 10/01/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी आई.डी.क्रमांक 8118 दिनांक 12.12.17 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 2065 दिनांक 12.12.17 के क्रम में।
3. अधीक्षक, राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।